

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक २७/जौधपुर १९९२-९३

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामोदय

जिला जोधपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय को सील से आज
दिनांक १५/११/१९९२ माह ११ सप्त एक हजार नौ सो रुपये को
जोधपुर में दिया गया।



रजिस्ट्रीकरण संस्थान
जोधपुर

जोधपुर जिला सहकारी संघ लि. जोधपुर के सौजन्य से